# मध्यप्रदेश शासन
## मुख्य सचिव कार्यालय
### मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क.मु.स./2018/अ.मु.स.वित्त/.....13..... भोपाल, दिनांक 13 फरवरी, 2018

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

विषय:-बैंक खातों में आधार नम्बर दर्ज करने बाबत् ।
संदर्भ:-मुख्य सचिव कार्यालय का पत्र क.मु.स./2017/187 दिनांक 26-08-2017.

---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके माध्यम से दिनांक 25 सितम्बर, 2017 से 4 अक्टूबर, 2017 तक बैंक खाते में आधार नम्बर दर्ज करने तथा बैंक शाखा द्वारा आधार नम्बर अभिप्रमाणित करने हेतु अन्य गतिविधियों के साथ-साथ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये गये थे।

2/- निकट भविष्य में शासन की समस्त हितग्राही मूलक योजनाओं में हितग्राही को भुगतान नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया (NPCI) के आधार लिंक्ड भुगतान गेटवे (AADHAAR-linked-payment gateway) से किया जाना है । इस हेतु आवश्यक है कि सर्वप्रथम सभी हितग्राहियों के पास आधार नम्बर हों । प्रदेश के 89.9% नागरिकों को ही आधार नम्बर जारी हुए हैं, जो संतोषजनक नहीं है । साथ ही आधार के डाटा-बेस में मोबाइल नम्बर, पता, जन्म तिथि इत्यादि विवरण भी पूर्ण/अद्यतन नहीं है ।

3/- भारत सरकार द्वारा धन-शोधन निवारण (अभिलेख का अनुरक्षण) नियम, 2005 (Prevention of Money Laundering Rules' 2005) में संशोधन करते हुए, अब आधार नंबर को बैंक खाते में दर्ज करवाना अनिवार्य कर दिया है तथा इसके लिए 31 मार्च, 2018 अंतिम तिथि निर्धारित है । इस तिथि के पश्चात बगैर आधार नम्बर वाले बैंक खातों से व्यवहार नहीं किये जा सकेगें । भारत सरकार द्वारा राज्यों से यह अपेक्षा भी की है कि हितग्राहियों को सभी भुगतान आधार नम्बर के आधार पर ही किये जाएँ।

4/- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक दिनांक 8 फरवरी, 2018 में यह अवगत कराया गया है कि प्रदेश में 81.60% बचत एवं चालू खातों में आधार नंबर दर्ज हुए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हितग्राही विशेषकर विद्यार्थियों के पृथक बैंक अकाउंट नहीं होने से उनको देय राशि का भुगतान उनके माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाते में ही जमा हो रही है । ऐसी स्थिति में उनके आधार से माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाते लिंक नहीं हो सकेगें । ऐसे विद्यार्थी जिनके स्वयं के नाम से बैंक खाते नहीं हैं, उनके पृथक से बैंक खाते खुलवाने होंगे, जिसमें के.वाय.सी.(KYC) के रूप में आधार नम्बर आवश्यक होगा ।

5/- बैंक खाते में आधार नम्बर को दर्ज करवाने हेतु बैंक शाखा अथवा बैंक के एस. एस.ए./कियोस्क पर जाकर भी यह कार्य किया जा सकता है, परन्तु आधार नम्बर के अभिप्रमाणन (authentication) के लिए हितग्राही को बैंक शाखा में जाना आवश्यक होगा । राज्य में अभी तक मात्र 48% खातों में ही बैंकों द्वारा आधार नम्बर का अभिप्रमाणन किया जा सका है ।

6/- दिनांक 8 फरवरी, 2019 को सम्पन्न राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में संयोजक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के निर्देशों पर सभी बैंकों द्वारा बैंक खातों में आधार नम्बर दर्ज करने तथा अभिप्रमाणन करने हेतु 5 फरवरी, 2018 से 20 फरवरी, 2018 के बीच विशेष अभियान संचालित किये जा रहे हैं । उक्त अभियान का भी लाभ उठाते हुए वांछित खाताधारकों को अपने बैंक खाते में आधार नम्बर दर्ज करवाने तथा अभिप्रमाणन करवाने हेतु प्रेरित किया जाये ।

7/- आपसे अपेक्षा है कि आप अपने जिले अंतर्गत हितग्राहियों के आधार पंजीयन का कार्य पूर्ण कराने, उनके बैंक खाते में आधार नम्बर दर्ज कराने, नये बैंक खाते खोलने, बैंक खाते में आधार का अभिप्रमाणन कराने की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर यह कार्य 31 मार्च तक अनिवार्य पूर्ण कराएँ । उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें । आगामी परख वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिलों द्वारा की गई कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा की जायेगी ।

(**बसंत प्रताप सिंह**)
मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन

पृ.क.मु.स./2018/अ.मु.स.वित्त/.....13.....  भोपाल, दिनांक 13...फरवरी, 2018

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, (समस्त विभाग) भोपाल।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, भोपाल ।
4. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल ।
5. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, भोपाल ।
6. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. राज्य स्तरीय प्रमुख, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, मध्यप्रदेश ।
8. राज्य स्तरीय प्रमुख, निजी क्षेत्र के बैंक, मध्यप्रदेश ।
9. समस्त अध्यक्ष, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ।
10. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल ।
11. समस्त अग्रणी जिला प्रबंधक, मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन